जॉब रिजर्वेशन इलाज नहीं

सवाल यह है कि क्या कोई राज्य सरकार अपनी इस जिम्मेदारी के नाम पर रोजगार के उपलब्ध अवसरों का इतना बड़ा हिस्सा स्थानीय प्रत्याशियों के लिए आरक्षित कर सकती है? क्या अन्य राज्य इस फैसले से पूरी तरह अप्रभावित रहेंगे? और अगर सभी राज्य ऐसा करने लगे, तब क्या होगा?

आरती सिंह।।

जब से सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में स्थानीय प्रत्याशियों के लिए 75 फीसदी आरक्षण लागू करने के फैसले पर लगी रोक हटाई है, राज्य सरकार इस फैसले पर ज्यादा आक्रामक तेवर अपनाती दिख रही है। यह रोक पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इसी 3 फरवरी को लगाई थी। हालांकि रोक हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उसने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट को एक महीने के अंदर इस मामले में विभिन्न औद्योगिक निकायों की ओर से दायर याचिकाओं पर फैसला करने को जरूर कहा। इधर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने के बदले अपनी सरकार के फैसले के बचाव में सामने आ गए। उनका कहना है कि युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है और उनकी सरकार अपनी इस जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती।

सवाल यह है कि क्या कोई राज्य सरकार अपनी इस जिम्मेदारी के नाम पर रोजगार के उपलब्ध अवसरों का इतना बड़ा हिस्सा स्थानीय प्रत्याशियों के लिए आरक्षित कर सकती है? क्या अन्य राज्य इस फैसले से पूरी तरह अप्रभावित रहेंगे? और अगर सभी राज्य ऐसा करने लगे, तब क्या होगा? क्या इंडस्ट्री के हितों पर इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या इस तरह से नौकरियां आरक्षित करना आज के दौर में बेरोजगारी दूर करने का कामयाब नुस्खा हो सकता है? राज्य सरकार के इस फैसले से जुड़े कानूनी और संवैधानिक पहलुओं का फैसला कोर्ट में होगा। लेकिन जहां तक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का सवाल है तो न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं में भी जो ताजा ट्रेंड्स दिख रहे हैं, वे कुछ अलग ही कहानी कहते हैं। भूलना नहीं चाहिए कि हम इस समय चौथी औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉसेस में ऑटोमेशन को बढ़ावा देने वाला दौर है। इसकी वजह से रोजगार में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा हर जगह कम हो रहा है।

भारत में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक स्टडी में महंगाई दर को एडजस्ट करते हुए देखा और पाया कि 1994 में एक करोड़ रुपये के निवेश से 33 फैक्ट्री वर्कर्स काम पाते थे, लेकिन 2015 में वह संख्या मात्र आठ तक सिमट गई। जाहिर है, लोकल युवाओं के लिए जॉब रिजर्वेशन की नीति इस ट्रेंड को नहीं बदल पाएगी। उलटे, एक राज्य में ऐसी नीति आने के बाद अन्य राज्य सरकारों पर भी दबाव बढ़ेगा। राज्य अलग–थलग पड़ेंगे और अलगाववादी भावनाएं मजबूत होंगी। इसलिए बेहतर होगा कि राज्य सरकारें जॉब रिजर्वेशन के बजाय जॉब ऑपर्च्युनिटी क्रिएशन पर ध्यान दें। टेक्नॉलजी में तेजी से बदलाव के इस दौर में अहम सवाल श्रम की क्वॉलिटी का है। जाहिर है, सरकारें शिक्षा में निवेश के जरिए युवाओं को उपयुक्त ट्रेनिंग मुहैया करवा कर उन्हें रोजगार के उपलब्ध अवसरों का फायदा उठाने लायक बनाएं तो ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती हैं।

दार्शनिक तर्क

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

वैज्ञानिक ज्ञान को धार्मिक ज्ञान से अलग करने की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति जिसमें अवरोधक और अनुयायी होते हैं. अवरोधकों में, डेलिसल बर्न है, जो अपने पाठ में है धार्मिक ज्ञान क्या है? इस बारे में एक संपूर्ण दार्शनिक तर्क देता है कि क्यों दोनों प्रकार के ज्ञान को वैध और मौलिक रूप से जुड़ा हुआ माना जाना चाहिए। तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में कई शोध हैं जिन्होंने धार्मिक अनुभव के बारे में भौतिक, शारीरिक और वैज्ञानिक प्रमाण खोजने की कोशिश की है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मिनेसोटा विश्वविद्यालय से जुड़वा बच्चों के अध्ययन से पता चलता है कि चर्च में भाग लेने की प्रवृत्ति या स्वयं के अनुभव के अनुभव की प्रवृत्ति में आनुवंशिक योगदान है। वास्तव में, यह भी कहा गया था कि धार्मिकता की सेवा में मस्तिष्क के तारों का आनुवंशिक निर्धारण होता है।

संपादकीय

मजाक नहीं है भागीदारी

10 मार्च को जिन पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, अगर वहां की मौजूदा महिला विधायकों की संख्या और इस बार के चुनाव में महिला उम्मीदवारों का नंबर देखें तो स्थिति साफ दिखती है कि राजनीति में महिलाएं अब भी काफी पीछे हैं। उत्तर प्रदेश में 11 प्रतिशत महिला विधायक हैं। उत्तराखंड में महिला विधायकों की संख्या 9 फीसद, पंजाब में 6, गोवा में 5 और मणिपुर में महज 4 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार जितने भी उम्मीदवार मैदान में हैं, उनमें सिर्फ 12 फीसद महिलाएं हैं। उत्तराखंड में तो महिला उम्मीदवार 10 प्रतिशत ही हैं, जबकि उत्तराखंड ऐसा पहाड़ी राज्य है जहां की पूरी इकॉनमी ही महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती है। गोवा में महिला उम्मीदवारों की संख्या 9 परसेंट है। पंचायत में जब महिलाओं को आरक्षण दिया गया, उस वक्त भी कुछ लोग मजाक बनाते रहे कि महिलाएं तो सिर्फ नाम की ही सरपंच बन रही हैं और उनका काम उनकी पति या बेटे देख रहे हैं। काफी हद तक यह बात सही भी थी क्योंकि महिलाओं को पहले राजनीति और प्रशासनिक कामों के करीब आने ही नहीं दिया गया। फिर भी जहां उन्हें मौका मिला, उन्होंने सीखा और खुद कामकाज संभाला। मगर अभी भी कुछ जगहों पर महिला सरपंचों की जगह सरपंच पति देखने को मिलते हैं। केंद्र सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ही इस मसले पर कई बार वर्कशॉप कराई और स्टडी भी कराई है। स्टडी में यह बात सामने आई कि जहां पर महिलाएं दूसरी बार सरपंच बनी हैं, वहां उन्होंने न सिर्फ कामकाज संभाला है बल्कि वे बेहतर तरीके से फैसले भी ले रही हैं।

वैसे महिलाओं को लेकर राजनीतिक दलों ने जो फिक्र दिखाई, उसमें उनकी जरूरत छिपी हुई है। पिछले कुछ सालों में सभी राजनीतिक दलों को यह बात समझ में आ गई है कि महिला मतदाता जीत–हार में अहम भूमिका निभा सकती हैं।

हिस्सा इच्छाशक्ति का

पूनम पाण्डे।।

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में नारा दिया– लड़की हूं लड़ सकती हूं। इसका असर भी दिखा। खासकर लड़कियों के बीच यह नारा काफी लोकप्रिय हुआ। इसके बाद प्रियंका गांधी ने इस नारे को हर चुनावी राज्य में इस्तेमाल किया। यूपी में तो महिला सुरक्षा चुनावी मुद्दा भी बना। यह सिर्फ कांग्रेस या विपक्ष का ही मुद्दा नहीं, बल्कि बीजेपी का भी मुद्दा रहा। जहां विपक्ष ने महिला सुरक्षा की स्थिति पर चिंता जताई, वहीं बीजेपी ने कहा कि उसके राज में महिला सुरक्षा की स्थिति बहुत बेहतर हुई। लेकिन जो सवाल अनुत्तरित है, वह यह कि राजनीतिक दलों को महिलाओं की जो यह याद आई है, क्या वह सिर्फ चुनाव तक सीमित है या चुनाव के बाद सरकार बनने पर भी इसकी याद रहेगी? वैसे महिलाओं को लेकर राजनीतिक दलों ने जो फिक्र दिखाई, उसमें उनकी जरूरत छिपी हुई है। पिछले कुछ सालों में सभी राजनीतिक दलों को यह बात समझ में आ गई है कि महिला मतदाता जीत–हार में अहम भूमिका निभा सकती हैं। इसलिए उनके लिए अलग–अलग लुभावने वादे भी किए जाने लगे।

बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के वक्त भी विश्लेषकों ने यह लिखा कि नीतीश कुमार को महिला वोटरों का साथ मिल रहा है और उनकी

जीत में महिला वोटर्स ने अहम भूमिका निभाई। नरेंद्र मोदी के नाम पर 2014 में बीजेपी को जो जीत मिली उसमें भी युवाओं के साथ ही महिला वोटर्स की भी भूमिका अहम मानी गई। लेकिन क्या महिलाओं की याद सिर्फ एक वोटर के तौर पर ही आनी चाहिए? इस सच को नकारा नहीं जा सकता है कि राजनीतिक दलों का महिलाओं को लेकर जो नजरिया है, वह सिर्फ वोटबैंक तक सीमित है। जब भी उन्हें राजनीति में भागीदारी देने की बात आती है, वे नजरें चुराते दिखने लगते हैं। राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा रोना यही है कि महिलाओं में जीत की संभावना का प्रतिशत कम होता है। इस वजह से वे उन्हीं सीटों पर और उन्हीं महिला नेत्रियों को टिकट देना पसंद करते हैं, जिनमें जीत की संभावना ज्यादा होती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि महिलाओं को जब तक राजनीति में पर्याप्त भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक उनके अधिकारों की लड़ाई पुरुषों के कंधों के सहारे लड़ी जाती रहेगी। वैसे महिलाओं के लिए एक अच्छी बात यह कही जा सकती है कि हाल के कुछ सालों में राजनीति में महिलाओं ने अपनी स्थिति पहले से कुछ मजबूत की है। हालांकि इसमें राजनीतिक दलों का योगदान कम और महिलाओं की इच्छाशक्ति का योगदान ज्यादा है।

यह हाल तब है जब 1996 में ही महिलाओं को आरक्षण देने के लिए बिल लाया गया था। तब एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार महिला आरक्षण बिल लाई थी। यह बिल लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए था। वाजपेयी सरकार ने भी लोकसभा में इस बिल को पास कराने की कोशिश की, लेकिन यह हो नहीं सका। यूपीए सरकार फिर से 2008 में महिला आरक्षण बिल लेकर आई। मार्च 2010 में इसे राज्यसभा ने पास भी कर दिया लेकिन लोकसभा में यह पेंडिंग ही रहा।

सूडोकु नवताल-5211

कठिनतम

	9				6			
	1					2		
5			7				3	
			4					6
		3				9		
4					8			
	7				9			8
		2					1	
			3				4	

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल-5210 का हल

6	5	8	9	1	4	2	7	3
1	2	7	3	5	8	6	4	9
3	4	9	7	2	6	1	5	8
2	3	6	1	4	5	9	8	7
8	9	5	2	7	3	4	1	6
4	7	1	6	8	9	3	2	5
7	6	4	5	3	1	8	9	2
9	8	2	4	6	7	5	3	1
5	1	3	8	9	2	7	6	4

अपना ब्लॉग

लोस और विस में महिला आरक्षण के सवाल

मोहन। राजनीतिक दल अपने भाषणों में महिलाओं के सबसे बड़े हितैषी होने की बात करते हैं, मगर लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण के सवाल पर उन्हें कई पेंच नजर आने लगते हैं। वहीं महिला सांसद इस बिल के समर्थन की बात तो करती हैं, लेकिन पार्टी लाइन से ऊपर उठकर महिला नेता कभी एकजुट होकर इसके पक्ष में माहौल नहीं बनातीं। अगर वे मिलकर आवाज उठाएं तो सभी राजनीतिक दल भी सोचने को मजबूर होंगे। लेकिन मौजूदा राजनीति में अभी ऐसा कोई सीन देखने को नहीं मिल रहा है। मौजूदा लोकसभा में 78 महिला सांसद हैं, जो कुल सांसदों का 14.39 फीसद हैं। यह महिला सांसदों का अब तक का सबसे बड़ा नंबर है। इससे पहले, यानी 2014 में लोकसभा में 65 महिला सांसद थीं– यानी कुल का 12.5 प्रतिशत। लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़कर 14 परसेंट से कुछ ज्यादा होना ही एक बड़ी उपलब्धि माना गया।